न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर

पीठासीन अधिकारी :–सुभाष चन्द्र, (आर.ए.एस.)

मैनुअल प्र.सं. :05/2019

जीसीएमएस : 2019/00076

1. हरबंश कौर पुत्री श्री बधेरसिंह पत्नी श्री वजीरसिंह जाति रामदासिया साकिन 22 पीटीडी तहसील रायसिंहनगर जिला अनूपगढ (राज0)

–अपीलान्ट

बनाम

1. ग्राम पंचायत 11 टीके जरिये सरपंच हरबंशकौर ग्राम पंचायत 11 टीके तहसील रायसिंहनगर जिला श्री गंगानगर।
2. लखविन्द्रकौर पत्नी श्री जसमेलसिंह जाति रामदासिया साकिन सिलवाला खूर्द तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़ राज.।

–रेस्पोडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट

रजू दिनांक 12.04.2019

उपस्थिति :–

1.श्री परविन्द्र बिश्नोई , अधिवक्ता अपीलांट

2.श्री नरेन्द्र भादू, अधिवक्ता रेस्पोडेंट सं. 2

–: निर्णय:– दिनांक :–20.09.2024

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि अपीलान्ट अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अपीलान्ट के भाई जीतसिंह पुत्र बधेरसिंह जाति रामदासिया चक 23 पीएस तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर के नाम वाके चक 32 एनपी के मु. नं. 11 प.नं. 208/303 की 2.961 है. नहरी भूमि मे 1/2 हिस्सा कमाण्ड भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी। जीतसिंह का प्रथम श्रेणी का कोई जायज वारिस नहीं था तथा उक्त भूमि 1/2 हिस्सा भूमि अपीलान्ट के नाम व शेष जीतसिंह के नाम दर्ज थी। उक्त भूमि के संबंध में रेस्पोडेन्ट संख्या 2 द्वारा श्रीमान् न्यायालय ने एक वाद पत्र व एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 53–88–92 ए काश्तकारी अधिनियम अनवान लखबिन्द्र कौर बनाम जीतसिंह आदि प्रकरण संख्या 67/2016 प्रस्तुत कर रखा था। जिसमें रेस्पोडेन्ट द्वारा स्वयं को जीतसिंह की पुत्री बताते हुए उक्त 1/2 हिस्सा को अपने पक्ष में खातेदारी घोषणा का निवेदन किया गया, जिसमें अपीलान्ट हरबंसकौर को भी आवश्यक पक्षकार बनाया गया था। परन्तु दिनांक 08.03.2019 को रेस्पोडेन्ट संख्या 2 द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र व वाद पत्र को स्वयं पेशी में लेकर विड्रोल किया गया। जिसके ज्ञान अपीलान्ट को था, जीतसिंह पुत्र बधेरसिंह की मृत्यु नवम्बर 2017 में हो चुकी है तथा जीतसिंह की मृत्यु के पश्चात उक्त वाद न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण अपीलान्ट का मृतक जीतसिंह कका विरासतन इन्तकाल का आदेश अपीलान्ट के पक्ष में पूर्ण सम्भावना थी क्योकि मृतक जीतसिंह का अपीलान्ट के अलावा अन्य कोई जायज वारिस नहीं है, परन्तु रेस्पोडेन्ट संख्या 2 द्वारा अपीलान्ट व न्यायालय को धोखा मे रखकर श्रीमान् अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश रायसिंहनगर में एक उतराधिकार प्रमाण पत्र स्वयं को वारिस बताते हुए वअनवान लखबिन्द्र कौर बनात हरआमखास प्रकरण संख्या 20/18 में दिनांक 06.03.2019 को फैसला करवाकर उक्त भूमि का इंतकाल [illegible] में गलत तथ्यों का विवरण देकर तथा उक्त उतराधिकार प्रमाण पत्र [illegible] भूमि का विवरण ना देकर विधिक नियमों की अवहेलना [illegible] रूप से उतराधिकार प्रमाण पत्र प्राप्त किया है, जिसका ज्ञान आज [illegible] 12.04.2019 को उक्त भूमि के संबंध में स्वीकृत किया गया विरासतन इंतकाल पूर्णतया विधि विरूद्ध है, उक्त आदेश को अपास्त किया जाना न्यायोचित है। भूमि [illegible] कब्जा भी अपीलान्ट के पास चला आ रहा है, परन्तु रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से मिलकर तथाकथित भूमि का इंतकाल सं. 467 दिनांक 22.03.2019 अपीलान्ट के

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2024.11.05 14:57:30 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

AnyScanner

हितों के विपरीत होने के कारण काबिल खारिज है। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 उक्त विधि विरूद्ध तरीके से उक्त भूमि का इन्तकाल अपने नाम से करवाकर उक्त भूमि को बैक व अन्य व्यक्तियों को बेचान करने की फिराक में है यदि रेस्पोडेन्ट संख्या 2 इस नापाक इरादे में कामयाब हो जाते है तो अपीलान्ट को ना पूरा होने वाला नुकसान होगा व अपूर्णीय क्षति होगी, जिसका मुल्यांक मुंद्राओं में नहीं आका जा सकता। इसलिए अनुशांगिक उपचार के रूप से आदेश 41 नियम 5 के तहत स्थगन आदेश प्राप्त करने का विधिक अधिकारी है। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 का अपीलाधीन भूमि के किसी भू भाग पर कोइ कब्जा काश्त नहीं है, ऐसी स्थिति में भी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा किया गया इन्तकाल अपीलान्ट के हितों के विपरीत होने के कारण काबिल खारिज है। श्रीमान् अपर जिला सैशन न्यायाधीश द्वारा भी जारी किया गया उतराधिकार प्रमाण पत्र भी उक्त भूमि के संबंध में जारी नहीं किया जा सकता, परन्तु रेस्पोडेन्ट संख्या 2 द्वारा न्यायालय को धोखा में रखकर गलत तथ्यों का विवरण देकर उक्त उतराधिकार प्रमाण पत्र प्राप्त किया है, जिसमें उक्त भूमि का विवरण नहीं दिया गया है, इसलिए इंतकाल आदेश दिनांक 22.03.2019 को खारिज किये जाने योग्य है। अपील श्रीमान् न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार की है व उचित न्याय शुल्क पर पेश है, अपीलान्ट को अतिशीघ्र उक्त अपील लाने के अलावा अन्य कोई विकल्प शेष नहीं है। अतः अपील अपीलान्ट प्रस्तुत कर निवेदन है कि चक 32 एनपी के मु.नं. 11 पं नं. 208/303 की 2.961 है. नहरी भूमि में 1/2 हिस्सा के इंतकाल संख्या 467 दिनांक 22.03.2019 को तुरन्त प्रभाव से निरस्त करने के आदेश प्रदान करें।

2. अपील प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्टस को तलब किया गया। रेस्पोंडेंट सं. 2, की ओर से श्री नरेन्द्र भादू हाजिर आये। रेस्पोडेन्ट सं. 1 की तलवी होने के उपरान्त भी हाजिर नहीं आने पर गैर हाजिर दिखाया गया। रेस्पोडेन्ट सं. 2 की तरफ से प्रा.पत्र आ. 41 नि. 5 सीपीसी पेश किया। जिसमें अंकित है कि प्रार्थी हरबंसकौर द्वारा एक अपील व उसके साथ आवेदन पत्र बाबत् चक 32 एनपी तहसील रायसिंहनगर का मु.नं. 11 पं नं. 208/303 की 2.261 हैक्टर नहरी भूमि में 1/2 हिस्सा कमाण्ड भूमि बाबत् पेश की है जो काबिल निरस्ती है। उक्त मृतक जीतसिंह की कानूनी वारिस मुझ अप्रार्थीया लखविन्द्रकौर हूं और प्रथम सूची मे वारिस मुझ अप्रार्थीया ही हूं प्रार्थीया हरबंसकोर प्रथम सूची की वारिस नहीं है जो मृतक जीतसिंह की बहिन है। इसलिए जो अपील व आवेदन पत्र बाबत स्थगन पेश किया है निरस्त फरमाया जावे। मुझ अप्रार्थीया लखविन्द्रकौर ने अपने पिता जीतसिंह की भूम में हक व हिस्सा लेने के लिए माननीय उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर के यहां 1/2 हिस्सा यानि एक पिता व एक मुझ अप्रार्थीया लखविन्द्रकौर को मानते हुए पेश किया लेकिन उसी दौहरान मेरे पिता जीतसिंह का देहान्त हो गया और मता का भी देहान्त हो चुका है। इस प्रकार मुझ अप्रार्थीया लखविन्द्रकौर एक मात्र वारिस हूँ। इसलिए उक्त वाद पत्र खारिज करवाया गया। मुझ अप्रार्थीया द्वारा अपने पिता मृतक जीतसिंह का विधिक व कानूनी उतराधिकार प्रमाण पत्र माननीय न्यायालय अपर जिला सैशन न्यायाधीश रायसिंहनगर से दिनांक 05.03.2019 को जारी करवाया जो निमयपूर्वक माननीय न्यायालय द्वारा जारी किया गया है उक्त उतराधिकार प्रमाण पत्र मे मुझ अप्रार्थी या लखविन्द्रकोर एक मात्र वारिस है और उसके आधार पर श्रीमान् तहसीलदार रायसिंहनगर द्वारा अपने आदेश मे विरास्तन इन्तकाल दर्ज करने का आदेश पारित किया गया है और मुझ अप्राथीया लखविन्द्रकौर एक मात्र वारिस हूँ और विरास्तन इन्तकाल नियमपूर्वक व कानूनी प्रक्रिया के आधार पर किया गया है। प्रार्थीया द्वारा अपील व [illegible] पर पेश की है प्रार्थीया द्वारा मुझ अप्रार्थीया लखविन्द्रकौर को तं[illegible] करने की नियत से उक्त अपील व आवदेन पत्र पेश [illegible] जिसके आधार पर कोई स्थगन कोई स्थगन प्राप्त [illegible] अधिकारी [illegible] है। विरास्तन इन्तकाल श्रीमान् तहसीलदार रायसिंहनगर [illegible] उक्त अपील इस आदेश में प्रस्तुत नहीं हो सक[illegible]यालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार में नहीं है इसलिए अपील व आवेदन पत्र खारिज फरमाया जावे। जिसकी नकल अपीलान्ट अधिवक्ता को दिलाई गई। रेस्पोडेन्ट सं. 02 का प्रा.पत्र

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2024.11.05 14:57:30 IST
Reason: SelfAttested

AnyScanner

आ. 41 नि. 5 सीपीसी दिनांक [illegible] का अस्वीकार किया जाकर अपीलान्ट की अपील में जारी दिनांक 12.04.2019 की अस्थाई निषेधाज्ञा को मूल अपील के निर्णय तक स्थाई किया गया है रेस्पोडेन्ट सं. 2 के द्वारा फार्म सं. 3 के साथ संलग्न कर अन्य न्यायालय के निर्णय पेश किया जो शामिल मिसल किये गये।

3. बहस वकील उभयपक्ष सुनी गयी। वकील अपीलांट द्वारा अपनी बहस में पूर्व कथनों को दोहराया तथा अपर जिला सेशन न्यायाधीश से 06.03.2019 को जारी उत्तराधिकार प्रमाण पत्र के अनुसार प्रतिवादी लखविन्द्रकौर पत्नी जसमेलसिंह पुत्री जीतसिंह जाति रामदासिया साकिन 23 पीएस को विधिक उत्तराधिकारी घोषित किया गया है। इन्तकाल सं. 467 दिनांक 22.03.2019 ग्राम पंचायत की बैठक प्रस्ताव सं. 1 के माध्यम से दिनांक 22.03.2019 को उक्त इन्तकाल समस्त प्रक्रिया पूर्ण करने के उपरान्त स्वीकृत किया गया। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमायी जावे।

–:आदेश:–

बहस वकील उभयपक्ष पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। ग्राम पंचायत 11 टीके के रिकार्ड का अवलोकन किया गया। बैठक में ही उक्त चक 32 एनपी के मु.नं. 11 प.नं. 208/303 की 2.961 है. नहरी भूमि में से 1/2 हिस्सा का नामान्तरण लखविन्द्रकौर पुत्री जीतसिंह के पक्ष में माननीय अपर जिला सेशन न्यायाधीश रायसिंहनगर द्वारा दिनांक 06.03.2019 को जारी उतराधिकार प्रमाण पत्र के आधार पर ग्राम पंचायत 11 टी.के. द्वारा प्रस्ताव सं. 1 दिनांक 22.03.2019 के द्वारा इन्तकाल सं. 467 दिनांक 22.03.2019 स्वीकृत किया गया है इस प्रकिया में ग्राम पंचायत 11 टीके द्वारा नामान्तरण तस्दीक करने में कोई त्रुटिकारित नहीं की गई है। इसलिए अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 20.09.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2024.11.05 14:57:30 IST
Reason: SelfAttested

AnyScanner